न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– सज्जन कुमार बनाम महेश चन्द्र आदि

मु.नं0– 11 वर्ष 2024

किस्म मुकदमा– आवेदन पत्र अ0 धारा 212 राज0का0अधि01955

दिनांक	आज्ञा पत्र
03.12.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर वकील उभय पक्ष को सुना गया। हमने वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं जवाब आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया। अवलोकन से जाहिर है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2024 के द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से ग्राम किकरालिया पटवार हल्का, श्यामपुरा तहसील,दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 5.3400 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था। मूल वाद पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हैं कि वादी सज्जन कुमार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53,188 के अन्तर्गत वाद पेश किया। जिसमें मुख्य रूप से बंटवारा का अनुतोष चाहा गया हैं। मूल वाद में बाद सुनवाई वकील उभय पक्ष की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। ऐसीस्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी सज्जन कुमार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1055 स्वीकार किया जाता हैं तथा मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण ग्राम किकरालिया पटवार हल्का, श्यामपुरा तहसील, दांतारामगढ़ जिला सीकर की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 293 रकबा 5.3400 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह आदेश किसी प्रकार के रास्ते की भूमि पर एवं विघूत कनेक्शन के लिए प्रभावी नहीं रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर